

मूल्य रू0 300.00

निविदा फार्म

जिला कार्यालय के अर्न्तगत दैवी आपदा के अर्न्तगत क्रय की जानी वाली सामाग्री का विवरण पत्र

क्र0 स0	सामाग्री का नाम	दर प्रति नग	अन्य विवरण
01	टैन्ट 14 X 14 फीट नाप तथा डबल फोल्ड (Alpine Outer and Inner Fly Waterproof Heavy Duty Canvas- Super Quality)		
02	त्रिपाल 15 x 15 फीट – Super Quality		

दिनांक .....

हस्ताक्षर निविदादाता,  
पता तथा मुहर

शर्तें -

1. टैन्ट अच्छी गुणवत्ता के 14X14X7फीट मोटे में कैनवास के डबल फोल्ड (Alpine Outer and Inner Leyer Waterproof Heavy Duty Canvas- Super Quality) होने आवश्यक हैं। टैन्ट में मजबूत बांस के खम्भो, रस्सी, खूंटियों तथा हैमर आदि भी सम्मिलित होगा। टैन्टों के नमूने एवं गुणवत्ता आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी। अनुमानित संख्या-200
2. त्रिपाल अच्छी गुणवत्ता के 15 X 15 फीट नाप के Super Quality विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी। अनुमानित मात्रा-300 नग।
3. यदि क्रय की जानी वाली सामाग्री की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई जाती है तो किसी विशेषज्ञ से जाँच के उपरान्त ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।
4. शीलबंद लिफाफे के बाहर से टैन्टों हेतु निविदा अंकित होनी अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में 2प्रतिशत की धनराशि रू0 1,00,000.00(रू0 एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी जो जिलाधिकारी के नाम बचनबद्ध हो प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी, तथा निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा सम्पादित होने पर वापस लौटायी जायेगी।
6. फर्म/अधिकृत विक्रेता को निविदा के साथ आयकर पंजीकरण संख्या/राज्य व्यापार पंजीकरण संख्या का विवरण अनिवार्यरूप से देना होगा। (आयकर फाईल करने की प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा व्यापार कर जमा करने की रसीद की प्रमाणित छायाप्रति)
7. निविदा के साथ रू0 100.00(एक सौ) का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जिसमें 1.00 एक रू0 का रसीदी टिकट हस्ताक्षर सहित होना चाहिए।
8. विगत 03 वर्षों का turn over सलग्नक करना आवश्यक होगा। (3 वर्षों का C.A. से प्रमाणित Balance Sheet की प्रमाणित प्रति)
9. निविदा की तिथि को टैन्ट/त्रिपाल का एक सैट सैम्पल हेतु कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।



10. निविदादाता को केन्द्रीय व राज्य सरकार संस्था द्वारा काली सूची में न होने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म/अधिकृत विक्रेता को उक्त सामाग्री जिला कार्यालय चमोली (गोपेश्वर) में स्वयं के व्यय पर आपूर्ति (F.O.R) करना होगा तथा निविदा के साथ सामाग्री का सैम्पल भी प्रस्तुत करना होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को निविदा में उल्लिखित समस्त सामाग्री की निविदा देनी होगी।
13. नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी।
14. उक्त क़य की जानी वाली सामाग्री की मात्रा में कमी एवं वृद्धि भी की जा सकती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी चमोली का होगा। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) द्विनिविदा प्रणाली के अधीन होगी।
- (1) तकनीकी निविदायें जिसमें व्यापारिक शर्तें और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हो।
- (2) तकनीकी एवं वित्तीय निविदाये अलग-अलग लिफाफों में शीलकर लिफाफों पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का उल्लेख हो। दोनों निविदा के लिफाफे एक बड़े लिफाफे में शीलकर प्रस्तुत करनी होगी।
15. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम-21(1) के अनुसार निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्ता को क़य आदेश प्राप्त होने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में 5 से 10 प्रतिशत तक धनराशि अधोहस्ताक्षरी के नाम बाणिज्य बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउण्ट पेई)/डिमान्ड ड्राफ्ट/सावाधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के रूप में बन्धक रखनी होगी।
16. निविदा फॉर्म विक्रय तथा प्राप्ति का समय तथा दिनांक 12.3.2010 साय 4.00 बजे अपराह्न तक है।
17. निविदा खुलने का समय व दिनांक 13.3.2010 पूर्वाह्न 10.00 बजे है।

  
जिलाधिकारी,  
चमोली।